न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 36–दो/1991 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.12.1990 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 241/1985–86 अपील

विश्वनाथ पुत्र हरविलास ग्राम सिरमोर का पुरा
मौजा विरहरूआ तहसील अम्वाह जिला मुरैना ----आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन

2– श्रीचन्द्र पुत्र बीघाराम

3– श्रीमती कंठश्री पत्नि स्व. गोपीराम
निवासी सिरमोर का पुरा तहसील अम्वाह
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक 1 के अभिभाषक पैनल लायर)
(अनावेदक 2,3 अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8 –11 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 241/1985–86 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि हलका नंबर 28 तहसील अम्वाह के पटवारी ने तहसील न्यायालय में सूचना दी

कि आवेदक ने ग्राम रामपुर की आराजी नंबर 257 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर आवेदक ने अतिक्रमण किया है, कार्यवाही की जाय। नायव तहसीलदार अम्वाह ने आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 41/85-86 अ 68 दर्ज किया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 14-1-86 पारित किया तथा आवेदक पर रू. 500/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह के समक्ष अपील क्रमांक 38/85-86 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 15-4-86 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 241/1985-86 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31.12.1990 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने । अनावेदक क्रमांक 2 व 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में बचाव में स्वयं् का दिनांक 26-10-85 को कथन दिया है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का उसे पूर्व में पटटा दिया गया है तभी से वह काविज होकर खेती करता आ रहा है, किन्तु अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 12/1971-72 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-75 से पटटा निरस्त कर दिया है एंव भूमि पूर्ववत् शासकीय अंकित हुई है, जिसके कारण आवेदक शासकीय भूमि पर अतिक्रामक होना स्वयं् के कथनों से सिद्व हुआ है और शासकीय भूमि पर अतिक्रामक को किसी प्रकार के स्वत्व एंव

स्वामित्व नहीं पहुंचते हैं जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक व्दारा निगरानी मेमो में दिये गये तथ्यों पर प्रस्तुत तर्क व्यर्थ हैं और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह ने अपील क्रमांक 38/85-86 में पारित आदेश दिनांक 15-4-86 से तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा अपील क्रमांक 241/ 1985-86 में पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 14-71-86 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 241/ 1985-86 में पारित आदेश दिनांक 31.12.1990 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर